



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2944 वर्ष 2026

सुनीता देवी
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : श्वेता निषाद, स्तुति मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 को मामला संख्या 30318/2025 तथा मामला संख्या T202505310330318 को शीघ्रता से कम्प्यूटरीकृत करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर किया गया एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा।
(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले उत्परिवर्तन मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा तथा विवादित उत्परिवर्तन मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा तथा यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. उक्त प्रावधान के बावजूद और प्रस्तुत दलीलों के आलोक में भी पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई आपत्ति के मददेनजर, अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, तथा अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इसका निपटारा करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

5 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"